[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 23/2022-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 नवंबर, 2022

का.आ. .... (अ).–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 171 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को यह जांचने के लिए सशक्त करती है, कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुरूप कमी आई है।

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव